राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(28)/PMMVY-VC/ICDS/2017/ 200774-201111 दिनांक : 22/11/18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त

विषयः– प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत निर्देशित किया गया था कि लक्ष्य के अनुरूप प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के ऑफलाईन फार्म एकत्रित करके उनकी फीडिंग करवाना सुनिश्चित करें। न्यून प्रदर्शन वाली परियोजनाओं में उपनिदेशक व बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करके कमजोर प्रदर्शन वाली परियोजनाओं व महिला पर्यवेक्षकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक सुधार करें। सभी गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण हो तथा पहली एएनसी जल्द से जल्द करायी जाये, जिससे पहली व दूसरी किश्त का समय पर भुगतान हो सकें। फार्म ए, बी व सी को भरते समय उनके बैंक खाते/पोस्ट ऑफिस का विवरण तथा आधार नम्बर सही भरा जाये।

समस्त महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्राप्त फार्म को सत्यापन करके 2–3 दिवस में ही बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। फार्म बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज तथा सभी अनिवार्य विवरण सही भरे गए है। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा PMMVY-CAS सॉफ्टवेयर में लाभार्थियों की किश्तों का अनुमोदन किया जाये तो संबंधित सीडीपीओं संबंधित दस्तावेज से लाभार्थी का नाम, आधार नम्बर, बैक नम्बर आदि का मिलान/जांच कर अनुमोदन करे ताकि किसी लाभार्थी का गलत भुगतान न हो। यदि उक्त कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही व विभागीय दिशा–निर्देशों के विपरीत पाया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित सीडीपीओं की होगी।

उक्त के क्रम में देखने में आया है कि राज्य के ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुई है, जिसमें गत 150 दिनों के भीतर लाभार्थी का कोई फार्म पंजीकृत/ऑनलाईन नहीं किया गया है। जो कि अत्यन्त खेदजनक है तथा विभागीय आदेशों व कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। अतः संलग्न सूची के अनुसार संबंधित उपनिदेशक व बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने अधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करें तथा लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही कर निदेशालय को भी हर माह सुचित करें।

<u>संलग्नः– उपरोक्तानुसार</u>

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक F 26(4)(28)/PMMVY-VC/ICDS/2017/ 201112-113 दिनांक : 22/11/18

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव निदेशक, आईसीडीएस, राजस्थान जयपुर
2. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (आईईसी)/
सहायक राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)